न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 05/2017 दायर दिनांक 12.01.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुनणी देवी पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. जगदीश पुत्र भंवरलाल 2. रामनिवास पुत्र भंवरलाल 3. श्रवणराम पुत्र पूर्णाराम 4. बादुराम पुत्र पूर्णाराम 5. किशोर पुत्र पूर्णाराम 6. भोजराज पुत्र ओमप्रकाश 7. गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश 8. कविता पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति माली निवासीगण भाटी बास डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राजस्थान 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री चेनाराम थौरी, वकील, वादी।
2. श्री दानाराम भाटी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 05.03.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा वाके सरहद चांदबासनी में अवस्थित है।

खसरा संख्या 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी पहले मोहम्मद अकील, मरियम, मोहम्मद सकील, मोहम्मद सलाम, पूर्णाराम के नाम थी कालान्तर में खातेदार मोहम्मद अकील, मरियम, मोहम्मद सकील, मोहम्मद सलाम व पूर्णाराम ने वादीनी को अपना वर्णितानुसार हिस्सा विक्रय कर उसी समय कब्जा सम्भला दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग पर वादीनी का कब्जा काश्त है। वादीनी ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 10.01.2007 को मो0 अकील व मरियम से 1/8 भाग खरीद की थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 27.02.2007 को नामान्तरकरण वादीनी के नाम दर्ज हो गया। तत्पश्चात

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 05/2017
दायर दिनाँक 12.01.2017, निर्णय दिनाँक 05.03.2018
कुनाणी देवी बनाम जगदीश, वगैरा।

वादीनी ने मोहम्मद सकील से उक्त खसरा सं0 41 में से मोहम्मद सकील का सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 04.02.2008 को क्रय किया जिसका राजस्व रेकर्ड में दिनांक 05.06.2008 को नामान्तरकरण वादीनी के नाम दर्ज हो गया। फिर वादीनी ने उक्त खसरा नम्बर 41 में से मोहम्मद सलाम से दिनांक 08.09.2008 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के मोहम्मद सलाम 1/16 सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया। उसका नामान्तरकरण दिनांक 18.12.2008 को हो चुका है। तत्पश्चात वादीनी ने इसी खसरा में से प्रतिवादी सं0 03 ता 08 के पिता व दादा पूर्णाराम का 3/8 भाग में से 95/1179 अर्थात 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 11.05.2010 को क्रय किया। जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दिनांक 21.06.2010 को दर्ज हुआ। इस प्रकार वादीनी कुनणीदेवी के हिस्साकि कुल भूमि खसरा सं0 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा है।

प्रार्थना वादी है कि–

वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कर खेत खसरा सं0 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा भूमि दक्षिणी हिस्सा वादीनी के पिता की भूमि के अलग नम्बर डाले जाने की डिक्री वादीनी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 09 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 तक ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री चेनाराम थौरी ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री दानाराम भाटी ने की है। हस्ब ख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

राजीनाम अनुसार वादीनी कुनणी देवी के बंट व हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी तरफ का 19 बीघा 13 बिस्वा रहेगा, प्रतिवादी सं0 01 जगदीश के हिस्से में उत्तरी पूर्वी हिस्सा 12 बीघा 12 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 रामनिवास के बंट में दक्षिणी पूर्वी तरफ का हिस्सा 09 बीघा 09 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम के बंट में 04 बीघा 15 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 05 किशोर के बंट में 05 बीघा 10 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम, प्रतिवादी सं0 04 बोदुराम, प्रतिवादी सं0 05 किशोर, प्रतिवादी सं0 06

2

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

भोजराम, प्रतिवादी सं0 07 गीतादेवी, प्रतिवादी सं0 08 कविता के संयुक्त रूप से उत्तर मध्य का रकबा 07 बीघा रहेगा।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम चान्दबासनी सम्वत् 2072–2075 प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद चान्दबासनी के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से वादीनी कुनणी देवी के बंट व हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी तरफ का 19 बीघा 13 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 जगदीश के हिस्से में उत्तरी पूर्वी हिस्सा 12 बीघा 12 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 रामनिवास के बंट में दक्षिणी पूर्वी तरफ का हिस्सा 09 बीघा 09 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम के बंट में 04 बीघा 15 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 05 किशोर के बंट में 05 बीघा 10 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम, प्रतिवादी सं0 04 बोदुराम, प्रतिवादी सं0 05 किशोर, प्रतिवादी सं0 06 भोजराम, प्रतिवादी सं0 07 गीतादेवी, प्रतिवादी सं0 08 कविता के संयुक्त रूप से उत्तर मध्य का रकबा 07 बीघा राजीनामा में पेश नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **05/2017** दायर दिनाँक **12.01.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुनणी देवी पत्नी रामाकिशन जाति माली निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश पुत्र भंवरलाल 2. रामनिवास पुत्र भंवरलाल 3. श्रवणराम पुत्र पूर्णाराम 4. बोदुराम पुत्र पूर्णाराम 5. किशोर पुत्र पूर्णाराम 6. भोजराज पुत्र ओमप्रकाश 7. गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश 8. कविता पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति माली निवासीगण भाटी बास डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राजस्थान 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **05.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थौरी, वकील, वादी व श्री दानाराम भाटी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद चान्दबासनी के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से वादीनी कुनणी देवी के बंट व हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी तरफ का 19 बीघा 13 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 जगदीश के हिस्से में उत्तरी पूर्वी हिस्सा 12 बीघा 12 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 रामनिवास के बंट में दक्षिणी पूर्वी तरफ का हिस्सा 09 बीघा 09 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम के बंट में 04 बीघा 15 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 05 किशोर के बंट में 05 बीघा 10 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम, प्रतिवादी सं0 04 बोदुराम, प्रतिवादी सं0 05 किशोर, प्रतिवादी सं0 06 भोजराम, प्रतिवादी सं0 07 गीतादेवी, प्रतिवादी सं0 08 कविता के संयुक्त रूप से उत्तर मध्य का रकबा 07 बीघा राजीनामा में पेश नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इकबाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री सरामसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 05/2017 दायर दिनांक 12.01.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. कुनणी देवी पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी डीडवाना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. जगदीश पुत्र भंवरलाल 2. रामनिवास पुत्र भंवरलाल 3. श्रवणराम पुत्र पूर्णाराम 4. बोदूराम पुत्र पूर्णाराम 5. किशोर पुत्र पूर्णाराम 6. भोजराज पुत्र ओमप्रकाश 7. गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश 8. कविता पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति माली निवासीगण माली वास डीडवाना तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

दिनांक 15.03.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थोरी, वकील, वादी व श्री दानाराम माली, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद चान्दवासनी के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से वादीनी कुनणी देवी के बंट व हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी तरफ का 14 बीघा 17 बिस्वा एवं 04 बीघा 14 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 जगदीश के हिस्से में उत्तरी पूर्वी हिस्सा 12 बीघा 12 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 रामनिवास के बंट में दक्षिणी पूर्वी तरफ का हिस्सा 09 बीघा 09 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम के बंट में 04 बीघा 14 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 05 किशोर के बंट में 05 बीघा 10 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 03 श्रवणराम, प्रतिवादी सं0 04 बोदुराम, प्रतिवादी सं0 05 किशोर, प्रतिवादी सं0 06 भोजराम, प्रतिवादी सं0 07 गीतादेवी, प्रतिवादी सं0 08 कविता के संयुक्त रूप से उत्तर मध्य का रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजीनामा में पेश नजरी नक्शा अनुसार खातारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीनी कुनणी देवी एवं प्रतिवादी सं0 03, 04, 05, 06 07, 08 द्वारा सहमति से रास्ते हेतु 04 बिस्वा भूमि गै0मु0 रास्ता घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज........–........ मुबलिंग..........–.............. बाबत.................–................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........–........ आज की तारीख को अदा करें। दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner